(लोक सभा द्वारा 31.07.2019 को पारित रूप में)

2019 का विधेयक संख्यांक 187-सी

[दि इंटर-स्टेट रिवर वाटर डिसप्यूट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, — 1956 का 33

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) "अध्यक्ष" से धारा 4ख में निर्दिष्ट अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(कक) "विद्यमान अधिकरण" से अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व गठित जल विवाद अधिकरण अभिप्रेत है ;

(कख) "सदस्य" के अंतर्गत अधिकरण का न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य अभिप्रेत है ;

(कग) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(कघ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(ख) "अधिकरण" से धारा 4 के अधीन स्थापित अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण अभिप्रेत है ;

(खक) "उपाध्यक्ष" से धारा 4ख में निर्दिष्ट अधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;'।

धारा 4 के स्थान पर नई धारा 4, धारा 4क, धारा 4ख, धारा 4ग, 4घ और 4ङ का प्रतिस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना ।

'4. ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, जल विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण नामक एक अधिकरण की स्थापना की जाएगी :

परंतु अधिकरण की स्थापना की तारीख से ही सभी विद्यमान अधिकरण विघटित हो जाएंगे और ऐसे विद्यमान अधिकरणों के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित जल विवाद, अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे :

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो विद्यमान अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पद धारण किया हुआ है, विद्यमान अधिकरण के विघटन पर, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा, किंतु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु यह भी कि कोई ऐसा विवाद, जो अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद

(संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी विद्यमान अधिकरण द्वारा पहले ही न्यायनिर्णीत और तय किया जा चुका है, पुनः नहीं खोला जाएगा ।

विवाद समाधान समिति ।

4क. (1) जब कभी धारा 3 के अधीन किसी जल विवाद के संबंध में किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो केन्द्रीय सरकार, सौहार्दपूर्ण रूप से विवाद का समाधान करने के लिए एक विवाद समाधान समिति स्थापित करेगी ।

(2) विवाद समाधान समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा अध्यक्ष, जो भारत सरकार के सचिव या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी है या रहा है, जिसके पास जल सेक्टर में अनुभव है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उतने ऐसे विशेषज्ञ सदस्य, जितने आवश्यक समझे जाएं, जो योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें जल सेक्टर, कृषि या ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जिन्हें केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, विशेष अर्हता और कम से कम पंद्रह वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो ;

(ग) ऐसे राज्यों का, जो विवाद के पक्षकार है, प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक राज्य की संबंधित राज्य सरकार द्वारा उस सरकार के अधिकारियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक ऐसा सदस्य, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ।

(3) विवाद समाधान समिति, एक वर्ष की अवधि के भीतर, जिसे छह मास की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, बातचीत से जल विवाद का समाधान करने का प्रयोस करेगी और केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(4) विवाद समाधान समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में—

(क) बातचीत के दौरान प्रत्येक ऐसे राज्य द्वारा, जो विवाद का पक्षकार है, लिए गए अवलंब के ब्यौरे ;

(ख) ऐसे अवलंब पर समिति के सदस्यों के विचारों के ब्यौरे ; और

(ग) उससे संबंधित सभी सुसंगत तथ्यों, जानकारी और डाटा के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा, कोई ऐसा जल विवाद, जो बातचीत द्वारा तय नहीं किया जा सकता है, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उसके न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

अधिकरण की संरचना ।

4ख. (1) धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन से अनधिक न्यायिक सदस्य और तीन ऐसे विशेषज्ञ

सदस्य होंगे, जो चयन समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री- अध्यक्ष ;

(ख) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश — सदस्य ;

(ग) विधि और न्याय मंत्रालय का भारसाधक मंत्री — सदस्य ; और

(घ) जल शक्ति मंत्रालय का भारसाधक मंत्री ।

(3) कोई व्यक्ति,—

(क) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा, जब तक वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो ;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा, जब तक वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ;

(ग) विशेषज्ञ सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा, जब तक वह योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति न हो और उसके पास जल संसाधन का अनुभव न हो और वह केन्द्रीय सरकार का ऐसा अधिकारी न रहा हो, जो भारत सरकार के सचिव या समतुल्य की पंक्ति का हो अथवा ऐसा कोई विख्यात अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय विशेषज्ञ, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, न हो या न रहा हो :

परंतु ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का आसीन न्यायाधीश है या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाएगी ।

(4) चयन समति, किसी व्यक्ति की, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश करेगी ।

(5) अधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में सदस्य की कोई रिक्ति है या वह अनुपस्थित है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

पदावधि ।

4ग. (1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, पद धारण करेगा ।

(2) अधिकरण के अन्य सदस्यों की पदावधि, जल विवाद के न्यायनिर्णयन के साथ सहविस्तारी होगी और वे धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन न्यायपीठ के विघटन पर पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे :

परंतु कोई भी सदस्य सड़सठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

अधिकरण के सदस्यों का पद से हटाया जाना ।

4घ. केन्द्रीय सरकार ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ;

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ङ) जिसने अपने पद का ऐसा दुरूपयोग किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक है :

परंतु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित न किया जाए और उसे उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाए :

परंतु यह और कि ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को, जो आसीन न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के बिना पद से नहीं हटाया जाएगा ।

अधिकरण की न्यायपीठें ।

4ङ. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) अधिकरण की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा ;

(ख) अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य के साथ पीठासीन अधिकारी के रूप में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से मिलकर बनने वाली किसी न्यायपीठ का गठन कर सकेगा :

परंतु किसी न्यायपीठ का कोई सदस्य किसी अन्य न्यायपीठ का सदस्य भी हो सकेगा ।

(2) अधिकरण की न्यायपीठें साधारणतया नई दिल्ली में और ऐसे अन्य स्थानों पर जैसा अध्यक्ष विनिश्चय करें, बैठकें करेंगी ।' ।

धारा 5 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं

रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार से किसी जल विवाद के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त होने पर, ऐसा विवाद उसके न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण की किसी न्यायपीठ को सौंपेगा ।

(2) अधिकरण की न्यायपीठ, उपधारा (1) के अधीन उसे समनुदेशित जल विवाद का अन्वेषण करने के पूर्व धारा 4क की उपधारा (3) के अधीन जल विवाद पर या जल विवाद से संबंधित या उसके सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी विषय पर विवाद समाधान समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करेगी ।

(2क) अधिकरण की न्यायपीठ, उपधारा (1) के अधीन उसे समनुदेशित जल विवाद का अन्वेषण करेगी और केन्द्रीय सरकार को, दो वर्ष की अवधि के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेजेगी जिसमें जल के उपयोग से प्राप्ति, दक्षता और ऐसे अन्य विषयों को, जो विहित किए जाएं, सम्मिलित करते हुए उसके द्वारा पाए गए तथ्यों और ऐसे विवाद पर उसके द्वारा दिया गया विनिश्चय उपवर्णित होगा :

परंतु ऐसी रिपोर्ट में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जल की प्राप्यता में कमी से उद्भूत कष्टप्रद अवस्थिति के दौरान जल के वितरण के लिए भी उपबंध किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से दो वर्ष की अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं दी जा सकती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसी अवधि को एक वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी ।";

(ख) उपधारा (3) में, —

(i) "ऐसे निर्देश पर अधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे निर्देश पर अधिकरण की संबंधित न्यायपीठ" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केन्द्रीय सरकार एक वर्ष की अवधि को छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी ।" ।

धारा 5क के स्थान पर नई धारा 5क, 5ख और 5ग का प्रतिस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

असेसरों की नियुक्ति ।

"5क. (1) केन्द्रीय सरकार, न्यायपीठ को प्रत्येक जल विवाद के लिए, उसके समक्ष की कार्यवाहियों में सलाह देने के लिए केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा में सेवारत ऐसे दो विशेषज्ञों को जो मुख्य इंजीनियर की पंक्ति से नीचे के न हों, असेसर के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परंतु इस प्रकार नियुक्त असेसर, किसी ऐसे राज्य का, जो विवाद का पक्षकार है, अधिवासी नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति असेसरों की पदावधि विवाद के न्यायनिर्णयन के साथ सह-विस्तारी होगी और वे विवाद के न्यायनिर्णीत होने तथा केन्द्रीय सरकार को अंतिम रिपोर्ट अग्रेषित करने के पश्चात् असेसर नहीं रहेंगे ।

प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति ।

5ख. केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी की, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, नियुक्ति करेगी, जो अधिकरण के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य के लिए और केन्द्रीय सरकार और अधिकरण के बीच नोडल अधिकारी के रूप में कार्य के लिए उत्तरदायी होगा ।

रिक्तियों, अस्थायी अनुपस्थिति, आदि का भरा जाना ।

5ग. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि किसी कारण से (अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद पर कोई रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति को धारा 4ख के अनुसार भरा जाएगा ।

(2) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा उसके पद में कोई रिक्ति होने की दशा में, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कोई नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

(3) जब अधिकरण की किसी न्यायपीठ का कोई सदस्य अनुस्थिति, रुग्णता के कारण या किसी अन्य कारणवश अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष, अधिकरण के किसी अन्य सदस्य को ऐसे सदस्य का कार्य, ऐसे सदस्य द्वारा फिर से कार्यभार संभालने लेने तक सौंप सकेगा ।" ।

धारा 6 का प्रतिस्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अधिकरण की न्यायपीठ के विनिश्चय का पक्षकारों पर आबद्धकर होना ।

"6. अधिकरण की न्यायपीठ का विनिश्चय अंतिम होगा और विवाद के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उसका वही बल होगा, जो उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री का होता है ।"।

धारा 6क का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (1) में "कर सकेगी" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं क्रमशः "किया जाने" और "करेगी" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 9क का प्रतिस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 9क के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

डाटा बैंक और सूचना का बनाए रखा जाना ।

"9क. (1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक नदी बेसिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बैंक और सूचना प्रणाली को बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए एक अभिकरण नियुक्त या प्राधिकृत करेगी, जो ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जल संसाधनों, भूमि, कृषि और ऐसे अन्य विषयों से

संबंधित डाटा का अनुरक्षण करेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी अपेक्षा की जाए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार को या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत अभिकरण को, उस उपधारा में निर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के संबंध में डाटा उपलब्ध कराएगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण को राज्य सरकार से प्राप्त डाटा, अभिलेख या किसी अन्य सुसंगत सूचना को मंगाने और उसका सत्यापन करने की शक्ति होगी ।"।

धारा 10 का प्रतिस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

सदस्यों और असेसरों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

"10. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों और असेसरों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।" ।

धारा 12 के स्थान पर नई धारा 12 और धारा 12क का प्रतिस्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

न्यायपीठ का विघटन ।

"12. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिकरण की किसी न्यायपीठ को सौंपे गए किसी जल विवाद का न्यायनिर्णयन हो जाने तथा उसके विनिश्चय या रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, अध्यक्ष की सिफारिशों पर, तीन मास की अवधि के भीतर उस न्यायपीठ का विघटन कर देगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यायपीठ का विघटन हो जाने पर, उस न्यायपीठ के सदस्य (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर) क्रमशः अपना पद छोड़ देंगे :

परन्तु जहां किसी न्यायपीठ का कोई सदस्य किसी अन्य न्यायपीठ का भी सदस्य है वहां ऐसा सदस्य उस न्यायपीठ के सदस्य के रूप में बना रहेगा ।

विघटित न्यायपीठ के कर्मचारीवृंद और आस्तियां ।

12क. (1) धारा 12 के अधीन अधिकरण की किसी अन्य न्यायपीठ का विघटन हो जाने पर, ऐसी विघटित न्यायपीठ के कर्मचारीवृंद, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,—

(i) किसी अन्य न्यायपीठ को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, यदि ऐसा अपेक्षित है ; या

(ii) अपने मूल काडर में संप्रत्यावर्तित कर दिए जाएंगे ।

(2) विघटित न्यायपीठ की आस्तियां और संपत्तियां केन्द्रीय सरकार को या संबधित राज्य सरकार को, जिसने ऐसी आस्तियां या संपत्तियां उपलब्ध कराई हैं, अंतरित हो जाएंगी ।" ।

धारा 13 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में खंड (क) से खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन किसी जल विवाद के बारे में परिवाद किया जा सकेगा ;

(ख) धारा 4ख की उपधारा (4) के अधीन अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के चयन की सिफारिश करने की रीति ;

(ग) अन्य विषय और धारा 5 की उपधारा (2क) के अधीन जल की प्राप्यता में कमी से उद्भूत कष्टप्रद अवस्थिति के दौरान जल के वितरण की रीति ;

(घ) ऐसे अन्य विषय, जिनके संबंध में धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां अधिकरण में निहित हो सकेंगी ;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(च) ऐसे अन्य विषय, जिनके संबंध में धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन डाटा अनुरक्षित किया जाएगा, उसकी विशिष्टियां और ऐसे डाटा के अनुरक्षण की रीति;

(छ) धारा 10 के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों और असेसरों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ज) वह रीति जिसमें धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन विघटित न्यायपीठ के कर्मचारीवृंद के संबंध में विचार किया जाएगा ;

(झ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना है ।" ।

धारा 14 का प्रतिस्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

रावी और व्यास जल अधिकरण से संबंधित मामले ।

"14. अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व गठित रावी और व्यास जल अधिकरण का विघटन हो जाएगा और उसके समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित जल विवाद अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे:

परन्तु संबंधित न्यायपीठ ऐसे विवाद में उसी प्रक्रम से कार्यवाही आरंभ करेगी जिस पर वह अंतरित किया जाता है ।"।

नई धारा 15 का अंतःस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

न्यायनिर्णयन के दौरान पक्षकारों द्वारा विवाद का समझौता ।

"15. (1) जहां ऐसे राज्यों में, जो किसी विवाद के पक्षकार हैं, अधिकरण द्वारा किसी विवाद के न्यायनिर्णयन की अवधि के दौरान कोई समझौता हो जाता है और ऐसे राज्य केन्द्रीय सरकार को इस निमित्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, वहां केंद्रीय सरकार, एक मास की अवधि के भीतर, उक्त विवाद के न्यायनिर्णयन को

समाप्त करने के लिए अधिकरण के अध्यक्ष को निर्देश करेगी ।

(2) अध्यक्ष, उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, उस न्यायपीठ के विघटन की सिफारिश करेगा और केन्द्रीय सरकार, ऐसी सिफारिशों पर, तीन मास की अवधि के भीतर अधिकरण की उस न्यायपीठ को विघटित कर देगी ।

(3) इस धारा के अधीन पक्षकारों द्वारा विवाद के निपटान की वही प्रास्थिति और प्रभाव होगा जैसे वह धारा 6 के अधीन अधिकरण का कोई विनिश्चय हो ।"।

MGIPMRND—2291LS(CRC)—31.7.2019.